(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEVELOPMENT DEPARTMENT) DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING 49, SHAM NATH MARG, DELHI – 110054.

No. F. 8/23/2001/DAM/MR/Vol-III/ 969/-9705 Dated: 08.08.2011

NOTIFICATION

No. 8/23/2001/DAM/MR/Vol-III/ In partial modification of Notification No. F. 8/23/2001/DAM/MR/2576 dated 28.05.2007 and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 5 read with section 7 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to nominate Sh. Haroon Yusuf, Minister of Development, Govt. of NCT of Delhi as Chairman, Delhi Agricultural Marketing Board with immediate effect in place of Sh. Brahm Yadav.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi

Keliha

(KAILASH CHANDRA) SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT) GOVT. OF NCT OF DELHI

No. F. 8/23/2001/DAM/MR/Vol-III/9691-9705 Dated: 08.08.2011

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi

- 2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad
- 3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi

4. The Principal Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.

- 5. The Principal Secretary (Development), Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
- 6. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.

7. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.

8. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.

9. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra-Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).

10. Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi/New Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi, Khoya/Mawa Marketing Committee, Mori Gate and Flower Marketing Committee, Delhi.

11 The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi

- 12 The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
- 13 The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi
- All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.

15 Guard file.

(KAILASH CHANDRA)
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विकास विभाग) कृषि विपणन निदेशालय 49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सं.एफ 8/23/2001/डी०ए०एम०/एम०आर०/खण्ड-।।।/969/- 9705 दिनांक: 08.08.2011

अधिसूचना

सं. एफ 8/23/2001/डी०ए०एम0/एम0आर0/एम0आर0/खण्ड—।।।/

8/23/2001/डी०ए०एम0/एम0आर0/2576 दिनांक 28.05.2007 में आंशिक संशोधन करते हुए और दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम,1998 की धारा 7 के साथ पठनीय धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप—राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली श्री हरून यूसुफ, विकास मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सहर्ष तुरंत प्रभाव से श्री ब्रह्म यादव के स्थान पर दिल्ली कृषि विपणन परिषद् का अध्यक्ष मनोनीत करते हैं।

उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से तथा उनके आदेश पर

केलाश चन्द्र) (कैलाश चन्द्र) विशेष सचिव (विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं.एफ 8/23/2001/डी०ए०एम०/एम०आर०/खण्ड-।।।/ 969/ 70 9 70 5 दिनांक : 08.08.2011

प्रतिलिपि:-

1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.४, फरीदाबाद (हरियाणा)।

3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।

- 4 प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 5 प्रधान सचिव (विकास), दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- 6 सचिव, मंत्री (विकास), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

7 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

8 अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।

9 उप—सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्दप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग—4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति).

10 कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली / नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली,

खोया / मावा विपणन समिति, मोरी गेट एवम पुष्प विपणन समिति, दिल्ली।

11 उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

- 12 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 13 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 14 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
- 15 गार्ड फाईल।

केलारा पार

(कैलाश चन्द्र) विशेष सचिव (विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार